रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249813
CG-DL-E-31102023-249813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945
No. 629]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (त) और खंड (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (न्याय निर्णायक अधिकारी की शैक्षणिक अहर्ताएँ तथा अनुभव और जाँच करने की विधि) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (न्याय निर्णायक अधिकारी की शैक्षणिक अहर्ताएँ तथा अनुभव और जाँच करने की विधि) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये तारीख 30 नवंबर, 2023 को प्रवृत्त होंगें।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (न्याय निर्णायक अधिकारी की शैक्षणिक अहर्ताएँ तथा अनुभव और जाँच करने की विधि) नियम, 2003 के नियम 4 के खंड (क) में "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अध्याय IX से संबंधित उल्लंघनों" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम, विनियम, निदेश या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन" शब्द और अंक रखे जाएंगें।

[फा.सं. 2(1)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ), तारीख 17 मार्च, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

G.S.R. 808(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (p) and (q) of sub-section (2) of section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the 30th day of November, 2023.

2. In the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Rules, 2003, in rule 4, in clause (a), for the words and figures "the contraventions in relation to Chapter IX of IT Act, 2000", the words and figures "or the contravention of the provisions of this Act or any rule, regulation, direction or order made thereunder" shall be substituted.

[F. No. 2(1)/2022-CL]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section *(i)*, *vide* notification number G.S.R. 220(E), dated the 17th March, 2003.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2023.10.31 19:32:39 +05'30'